13-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अवल सेवा गाम पं० बिलासपुर पर प्रस्तुत हुयी। वादीगण की ओर से इन्द्रराज उप०। प्रतिवादी नं० 1 व 2 उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 ने हस्ताक्षर करने से मना किया। दोनों पक्षों को सुना गया। प्रतिवादी नं० 2 का कथन है कि वादग्रस्त अराजी अम्बालाल के खातेदारी की थी। किशनलाल अम्बालाल का पुत्र अर्थात इकारा सगा नहीं था। सेटलमेन्ट में किशनलाल के बड़े भाई का नाम ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया। वादीगण भी किशनलाल के वारिसान है सरपंच ग्राम पंचायत ने भी वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें किशनलाल के उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 को

माना है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा आक्षेपित होना तथा इकबालिया बयान के मद्द करना तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करना वादीगण के वाद को परिपुष्ट करता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी मय्यत भंवरलाल के खातेदारी की है दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट विभाग ने भंवरलाल के स्थान पर उसके पुत्र रामनिवास व रामजी के खाता-2 अकेला प्रतिवादी नं0 1 छोटूलाल पुत्र किशनलाल का ही नाम अंकित किया है, जबकि किशनलाल के अन्य वारिसान भी मौजूद हैं जिनका नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहिये था। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 3 रकबा 3.89, 5 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील उनियारा में वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 के साथ हिस्सा 1/3 में बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। पश्चात डिक्री जारी हो पत्रावली जाब्तानुसार होकर नतीजा के बाद हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी ..., टोंक (राज0)

लिए ग्राम पंचायत / बिलासपुर % तह० उनियारा टोंक
वारिस प्रकाशन

(डिक्री) प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत

उनवान

1.इन्द्रराज पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.तुलसा पुत्री किशनलाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.सौभागी पुत्री किशनलाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.मिश्री बेवा किशनलाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.शोभाग पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामनिवास पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.श्योजी पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4..तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक
5.दी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 टोंक शाखा उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 83 वर्ष 2013

वादी की ओर से श्री इन्द्रराज वादी प्रतिवादी की और से श्री रामनिवास प्रतिवादी उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ख0न0 3 रकबा 3.89 , 4 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील उनियारा मे वादीगण को प्रतिवादी न0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner